

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010 (चैत्र 5, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 (अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 तक तथा दिनांक 01.11.2002 से दिनांक 31.03.2003 तक) पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 तथा 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बबू", सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम तिलहरी में नियम विरुद्ध मकानों का निर्माण होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, सदस्य, खरगौन जिले की महेश्वर नगर पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध मकान तोड़े जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, जबलपुर संभागीय नगर सेना में की जा रही भर्ती में अनियमितता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रत्नेश सॉलोमन, डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री अजय अर्जुन सिंह, लक्ष्मण तिवारी, आरिफ अकील, सदस्य, रीवा सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा एक बालक के साथ अमानवीय मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य, सिवनी जिले के विकासखण्ड घंसौर में महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(7) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सर्वश्री प्रियव्रत सिंह, बृजराज सिंह चौहान, सदस्य, छतरपुर जिले की राजनगर जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों के शिलान्यास समारोह में आदेश जारी करने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री सर्वश्री अभय कुमार मिश्रा, देवेन्द्र पटेल, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, मध्यप्रदेश सेतु निगम में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा कर रहे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री राव राजकुमार सिंह यादव, सदस्य, अशोक नगर जिले के चंदेरी क्षेत्र में खाद्यान्न की कालाबाजारी होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री माखनलाल राठौर, सदस्य, शिवपुरी नगर में सड़कों की जर्जर हालत होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड जिले के अस्पतालों से दवाएं न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, जबलपुर जिले के हनुमान ताल पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना से युवक द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य, व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सकों की भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर आयुष मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी होने की ओर राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री बिसाहूलाल सिंह, बालाराम बच्चन, डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, सदस्य, अनूपपुर जिले के आमाडांड खुली खदान हेतु अधिग्रहीत भूमि स्वामी कृषकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

- (17) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, नगर निगम उज्जैन द्वारा गंभीर जलाशय से ग्रेसिम उद्योग को जल उपलब्ध न कराये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (18) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य, सीधी जिले के मझौली थाने में एक युवक द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (19) श्री सुरेन्द्र पटवा, सदस्य, रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित औद्योगिक ईकाईयों द्वारा बेतवा नदी में दूषित जल छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (20) डॉ. गोविन्द सिंह सदस्य, भिण्ड जिले में मिलावटी एवं सिंथेटिक दूध की बिक्री होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (21) श्री आरिफ अकील, सदस्य, पुराने भोपाल में अतिक्रमण के नाम पर बगैर नोटिस के मकान तोड़े जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (22) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन के नागदा-खाचरौद क्षेत्र में उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभार की अधिक वसूली किये जाने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (23) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य, धार जिले के धामनौद नगर में अनियमित विद्युत आपूर्ति होने से पेयजल संकट उत्पन्न होने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (24) सर्वश्री पारस सकलेचा, संजय शाह मकड़ाई, सदस्य, रतलाम जिले में सब्जी विक्रेताओं से कमीशन लिये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (25) श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश में बिजली खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (26) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य, बालाघाट जिले में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (27) डॉ. कल्पना परूलकर, श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन के महतवास में उद्योगों के कारण कैसर जैसी बीमारी का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (28) सर्वश्री उमंग सिंघार, पारस सकलेचा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, धार गंधवानी सड़क मार्ग पर मारपीट कर लूटपाट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (29) श्री संजय शाह मकड़ाई, सदस्य, हरदा जिले के मोरण्ड नदी पर बने एकवाडकट की जर्जर हालत होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (30) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ नगर पालिका की पूर्व परिषद द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (31) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, प्रदेश में बिक रहे पानी के पाउच पर पैकिंग दिनांक न लिखे जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (32) श्री मोती कश्यप, सदस्य, मुरैना जिले के पगारा जलाशय के पट्टे आवंटन को लंबित रखे जाने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (33) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार क्षेत्र में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहियों को राष्ट्रीय बचत पत्र न मिलने की ओर राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (34) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, इंदौर के सपना-संगीता रोड पर डकैती की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (35) श्री नागेन्द्र सिंह (गुड़), सदस्य, बाणसागर एवं गंगाकछार के नहरों के रख रखाव में फर्जी भुगतान होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (36) श्री अजय यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम केरीपुरा से एक नाबालिग लड़की का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (37) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (38) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य, छिंदवाड़ा स्थित पंच पावर प्रोजेक्ट के लिये भूमि के संबंध में हुये अनुबंध में शर्तों का उल्लेख न होने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (39) श्री रणवीर सिंह जाटव, सदस्य, भिण्ड जिले के मौ कस्बे में विद्युत करंट से मौत होने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (40) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, प्रदेश के बेरोजगार युवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु आयु सीमा में छूट दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (41) श्री बालाराम बच्चन, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (42) श्री शरद जैन (एडवोकेट), सदस्य, गुना जिले के मकसूदनगढ़ मंडी प्रांगण स्थित पेड़ काटे जाने की अनुमति दिये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (43) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिला स्रोत समन्वयक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (44) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा एकीकृत विकास परियोजना को तामिया में शामिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (45) श्री अजय यादव, सदस्य, टीकमगढ़ में आदर्श महाविद्यालय हेतु धर्मस्व विभाग द्वारा हस्तांतरण न किये जाने की ओर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (46) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले में घटिया सरसों तेल की बिक्री होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(47) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम उर्दमऊ में एक कृषक पर प्राणघातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) सर्वश्री राजेश वर्मा, गिरिराज किशोर पोद्दार, नरेन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, पन्ना स्थित विद्यालय के छात्र के साथ शोषण के दोषी वार्डन पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के आमला नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदों पर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(50) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की गलत नीति से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(51) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, जनसंपर्क विभाग के नैमित्तिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को क्रमोन्नती का लाभ न दिये जाने की ओर जनसंपर्क मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(52) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम में अवैध मैग्नीज का परिवहन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री को फरवरी-मार्च, 2010 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति / स्वीकृति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति का 54वां से 76वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री कमल पटेल, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर जिले के -

(क) ग्वालियर नगर के अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 5 के एकता नगर में सी.सी.रोड निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्वालियर नगर के दामोदर बाग कालोनी में सी.सी.रोड निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) ग्वालियर नगर की अल्पसंख्यक बस्ती नेहरु नगर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य कराये जाने,

(2) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के -

(क) हटा के महारानी लक्ष्मी बाई हा. सेकेण्डी कन्या शाला का भवन निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम मढ़ियादो की प्राथमिक कन्या शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) हटा नगर में अग्रवाल पेट्रोल पंप से भगवती चौबे के निवास तक सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम इमलिया रावत के ब्यारमा नदी पर स्टापडेम निर्माण कराये जाने,

(3) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले के -

(क) बैतूल की कृषि उपज मंडी में किसानों का गुड़ बेचने की व्यवस्था कराये जाने, तथा

(ख) बैतूल नगर में कांति शिवा छविगृह के पास नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(4) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के -

(क) सतना जिले के नेशनल हाईवे रोड से परसोया डोलनी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम तिलौरा की पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम तिदुहटा के वार्डों को नल-जल योजना से जोड़े जाने, तथा

(घ) ग्राम धरमपुरा से अमरकंटक व्हाया न्यू बजरिया का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(5) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के -

(क) सरदारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ओ.पी.डी. भवन व वार्ड का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) नगर पंचायत सरदारपुर के उत्कृष्ट विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

(क) ग्राम टीला में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम रावट भाट एवं टोरिया के बीच स्टापडेम कम रपटा निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम पचोरा इमिलिया के बीच पुलिया निर्माण कराये जाने,

(घ) ग्राम टोरिया खुर्द में मनोरंजन भवन का निर्माण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम समोहा के मिडिल स्कूल का उन्नयन कराये जाने

(7) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य, सतना जिले के -

(क) अमरपाटन में कन्या महाविद्यालय खोले जाने, तथा

(ख) अमरपाटन में यातायात पुलिस की पदस्थापना किये जाने,

(8) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य -

(क) सीधी जिले के मानसिंह आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोचिला को स्थानीय निकाय में संविलियन किये जाने, तथा

(ख) सतना जिले के रामनगर तहसील अन्तर्गत ग्राम हिनौती के पंडितान टोला में सार्वजनिक मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(9) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य, छतरपुर जिले के शिवराजपुर में उसरन नाले पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने, एवं

(10) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, खण्डवा जिले के पंधाना विकास खण्ड के ग्राम खिड़गांव में संचालित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित
समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा

(1) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे

(2) श्री जयंत कुमार मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश परिसर किराएदारी विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(3) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. अशासकीय संकल्प

1 घन्टा

(1) सर्वश्री रमेश प्रसाद खटीक, प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"इस सदन का मत है कि सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा आदि को दी जाने वाली पेंशन (अनुग्रह राशि) का भुगतान बैंकों के माध्यम से निश्चित समय पर किया जाय ".

45 मि.

(2) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि पर्यटकों को रेल सुविधा हेतु भोपाल से खजुराहो के लिये कर्नाटक एक्सप्रेस में झांसी तक तथा झांसी से डेली पैसिंजर में चार बोगी जोड़कर खजुराहो तक चलाई जाय ".

45 मि.

(3) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि विभिन्न योजनाओं में निर्मित पुल, पुलियों एवं रपटे पर स्टापडेम बनाये जायें ".

भोपाल :
दिनांक : 25 मार्च, 2010

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.